कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

SHYAM SHAH MEDICAL COLLEGE
1963
REWA
॥ मूलयोमा अमृतं गमय ॥

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एंव सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक रीवा हेतु पी.पी.पी. मोड मे मैकेनाइज्ड लॉण्ड्री के संचालन हेतु निविदा वर्ष 2023--24

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 5000/—
रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक– **06/2023-24**

ONLINE TENDER SCHEDULE

निविदा क्र–**06/2023-24**

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	10-07-2023 10-30 AM	31-07-2023 05-00 PM
2	BID SUBMISSION ONLINE	10-07-2023 10-30 AM	31-07-2023 05-00 PM
3	Mandatory submission open	02-08-2023 12-30 PM	
4	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	02-08-2023 12-35 PM	
5	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	–

ईमेल–:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104
संपर्क–:07662-242104,9179705483,9644695933,7747078415,9630518109

पोर्टल् में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची–

1- धरोहर राशि रूपये ***100000/–(एक लाख मात्र)*** ऑनलाईन। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।)

2- मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।**(Online purchased)**

3- दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत जारी फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।

4- वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 (एसेसमेंन्ट ईयर 2021–22 एवं 2022–23) का आयकर रिटर्न जमा करने की सत्यापित छायाप्रति)

5- 100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर नोटराईज्ड मूल शपथ पत्र।

6- पैन कार्ड की छायाप्रति

7- जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

8- ई.पी.एफ./ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र

9- वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 20.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वर्ष 2021–22)

10- शासकीय/अशासकीय/अर्ध–शासकीय/कार्पोरेट चिकित्सालयों में संबंधित कार्य करने का अनुभव एक वर्ष या अधिक (न्यूनतम 300 बिस्तर का)

टीप– मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज कम पाए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

ई–निविदा के नियम एवं शर्त

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय रीवा में पी.पी.पी. मोड में मैकेनाइज्ड लाण्ड्री के संचालन हेतु प्रथम ई–निविदा वर्ष 2022–23 के लिए आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट *https://mpetenders.gov.in/* पर ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट *http://www.ssmcrewa.com* में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं। यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा की अमानत राशि रूपये *100000/–(एक लाख मात्र)* का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदाकार को अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उससे परफार्मेंस गारंटी के रूप में राशि रू 2.00 लाख(दो लाख मात्र) अनुबंध के साथ जमा करना होगा।
4. निविदाकार को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।
5. चिकित्सालय मे पूर्व स्थापित एवं कार्यरत लाण्ड्री मशीनों 50 किलो ग्राम कपड़ों की क्षमता की 02 धुलाई मशीन, 25 किलो ग्राम कपडो की क्षमता की 02 धुलाई मशीनें , मशीनों से संलग्न 02 हाइड्रो एक्सट्रेक्टर, 02 प्रेस मशीन जिसमे कम्प्रेसर की आवश्यकता है तथा 02 ड्रायर मशीन 25 के.जी. क्षमता प्रत्येक को निविदाकर को अपने कार्य मे सम्मिलित करना होगा तथा निविदा दरों को देते समय निविदाकार को चिकित्सालय की मशीनों के उपयोग को ध्यान मे रखते हुये दरे प्रस्तावित करनी होगी।
6. उपयोग की जाने वाली बिजली हेतु स्वयं का सब मीटर लो.निर्माण विभाग की निगरानी में लगवाना होगा तथा लो.नि.विभाग द्वारा सबमीटर के आधार पर की गई बिजली खपत का सत्यापन अनुसार किराया स्वशासी निधि में जमा कराना होगा।

Junaid beg
04/04/2023

7. लाण्ड्री के संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति निविदाकार द्वारा स्वयं करनी होगी, जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा। श्रम नियमों का पालन करना होगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। बाल श्रमिक कार्य पर नही रखे जाऐंगे।
8. प्रतिदिन उपयोग में आने वाले वस्त्रों की धुलाई का वास्तविक आधार पर निविदा में स्वीकृत एल-1 दर पर भुगतान किया जावेगा।
9. यदि प्लांट एवं मशीनरी में कोई तकनीकी खराबी आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं इस पर आने वाले व्यय का भार निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा। किसी भी दशा में लॉण्ड्री कार्य बंद नही किया जावेगा। लॉण्ड्री का कार्य किसी अन्य माध्यम से कराए जाने की स्थिति उत्पन्न होने पर कराए गए कार्य का व्यय दोगुनी दर से निविदाकार से वसूल किया जावेगा।
10. निविदाकार प्लांट के रखरखाव एवं मैन्टेनेन्स और उसके सफल संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायीं होगा एवं उसकी चैकिंग, मेन्टेन्स एवं अन्य प्रकार के रख रखाव या किसी खराबी के कारण कोई पार्ट्स लगाना पड़ता है तो सभी दशाओं में भुगतान निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
11. निविदाकार को गुणवत्तायुक्त डिटर्जेंट पावडर एवं केमिकल्स उपयोग करना होगा।
12. निविदा स्वीकृत दिनांक से लाण्ड्री कार्य प्रारंभ करने की अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी।
13. चिकित्सालय के अलावा अन्य किसी भी संस्था के कपड़े धोते पाये जाने पर उस पर कार्यवाही करते हुए कपड़े जप्त कर कम से कम रू.5000.00 का अर्थदण्ड लगाया जावेगा। इस कार्य हेतु संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा टीम गठित की जावेगी ।
14. लाण्ड्री कार्य हेतु आवश्यक ओवरहेड टैंक, पानी हेतु इनलेट आउटलेट कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं निविदाकार को अपने व्यय पर करानी होगी।
15. सफल निविदाकार को लाण्ड्री कार्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदण्डो एव नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
16. निविदाकार को स्वयं के खर्चे पर एक टेलर रखना होगा, जिसका कार्य चिकित्सालय के फटे कपड़ों की सिलाई करना होगा एवं प्रत्येक माह में बेडशीट की धुलाई गुणवत्ता माप कर वार्ड की सिस्टर इंचार्ज को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

Sumaid beg 04/04/2023

17. वार्ड में बेडशीट के रखरखाव हेतु वार्ड के आधार पर 50 से 70 लीटर जालीदार की बाल्टी निविदाकार के द्वारा स्वयं के व्यय पर रखा जावेगा।
18. प्लांट में कभी भी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में तथा चिकित्सालय के वस्त्रों को नुकसान होने की स्थिति में उसकी वास्तविक कीमत की भरपाई निविदाकार द्वारा की जावेगी।
19. निविदाकार द्वारा रखे गये कर्मचारियों की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी और न ही इसके लिये निविदाकार मांग करेगा।
20. ठेके की अवधि समाप्त उपरांत निविदाकार को तीन दिवस के भीतर परिसर रिक्त कर स्वच्छ हालत में परिसर तथा चिकित्सालय की पूर्व से स्थापित मशीनें कार्यरत स्थिति मे अस्पताल प्रबंधन को सौंपना होगा।
21. चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्व संजय गांधी/गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं एसएसबी ब्लॉक रीवा के अंतर्गत विभिन्न विभागों/वार्डो में उपयोग होने वाले वस्त्रों की लाण्ड्रीमय इस्त्री अनिवार्य रुप से करनी होगी।
22. स्वीकृत निविदाकार को निविदा स्वीकृति सूचना मिलने के पश्चात् अधिकतम 15 दिवस के भीतर अनुबंध निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित करना होगा।
23. निविदाकार अनुबंध अवधि के बीच में ही कार्य छोड़कर चला जाता है तो उसकी जमा परफार्मेंस गारंटी की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा भविष्य के लिए उक्त फर्म को इस चिकित्सालय के लिये ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा ।
24. लाण्ड्री कार्य के देयकों का भुगतान मासिक आधार पर सत्यापन उपरांत किया जावेगा। बीच में निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जावेगा।
25. निविदाकार को प्रतिदिन सुबह 09.30 बजे तक अनिवार्य रूप से वस्त्र वार्ड इंचार्ज सिस्टर से प्राप्त करना होगा। वस्त्रों की लाउण्ड्री पश्चात् अगले दिन सुबह 9.30 बजे तक उन वस्त्रों को डिलीवरी देना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवा में त्रुटि मानते हुए कम से कम रू 5000.00 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
26. धुलाई के दौरान कोई वस्त्र खो जाता है अथवा कट फट जाता है तो नवीन वस्त्र के मूल्य की राशि के बराबर का कटौत्रा निविदाकार के मासिक भुगतान में से किया जावेगा।
27. धुलाई के पश्चात् वस्त्रों की धुलाई तथा प्रेस कर प्रदाय करने की गुणवत्ता का समय–समय पर निरीक्षण किया जावेगा। यदि धुलाई कार्य में गुणवत्ता की कमी

Zmaidbeg
04/07/2023

पाई जाती है या समय से कपड़े नही दिए जाते तो इस प्रकार प्राप्त धुले वस्त्रों का भुगतान नहीं किया जावेगा, तथा पुनः धुलाई करनी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का पृथक से भुगतान नही किया जावेगा एवं डैमेज होने पर निविदाकार पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा।

28. सफल निविदाकार को अस्पताल में धुलाई हेतु वस्त्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची नाम व उनके पते, फोटो, आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर सहित सत्यापित कराकर **निविदाकार** को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही **निविदाकार** को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त व्यक्तियों का नाम पुलिस विभाग के अपराधियों की सूची में न हो इस आशय का शपथ पत्र अनुबंध के साथ लगाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी का ड्रेस कोड होना अनिवार्य होगा ।

29. निविदाकार वस्त्रों की गुणवत्तापूर्ण धुलाई करने में यदि असफल होता है तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा व शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार (एल–2) को दिया जावेगा। ठेके संधारण में यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके की अंतर राशि पूर्व **निविदाकार** (एल–1) से वसूल की जावेगी। साथ ही जमा **परफार्मेंस** राशि राजसात कर ली जावेगी।

30. स्वीकृत **निविदाकार** की **परफार्मेंस** राशि ठेका संचालन अवधि तक जमा रहेगी जो कि संचालन अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति उपरांत बिना ब्याज के वापिस की जावेगी।

31. लॉण्ड्री कार्य का देयक प्रत्येक वार्ड/ओ.टी. अनुसार पृथक–पृथक तैयार कर तीन प्रतियों में संबंधित वार्डों/ओ.टी इंचार्ज सिस्टर/प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर ही प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।

32. **यदि निविदाकार** निविदा शर्तों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका ठेका निरस्त किया जाकर परफार्मेंस राशि राजसात कर ली जावेगी एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

33. किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का होगा जिसे निविदाकार को मान्य होगा।

34. निविदा की अवधि 03 वर्ष के लिए होगी परंतु यदि भविष्य में **शासन** द्वारा मैकेनाइज्ड लॉण्ड्री हेतु स्टाफ स्वीकृत किया जाता है या भारत **शासन** के उपकम हाइट्स को ठेका दिया जाता है, तो निविदाकार को 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।

35. इच्छुक निविदाकार निविदा की **शर्तों** को भलिभांति पढ एंव समझकर ही दरें प्रस्तुत करें। सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी।

36. निविदाकार का चयन सक्र 01 से 20 तक में दी गई दरों के कुल योग कि न्यूनतम औसत दर पर किया जावेगा।

37. निविदाकार द्वारा असत्य जानकारी कूट रचित दस्तावेजों इत्यादि के माध्यम से ठेका प्राप्त करने पर निकटतम थाने में धारा 420 एवं अन्य धाराओं के तहत् अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर ठेका निरस्तगी की कार्यवाही की जावेगी।

38. निविदा की शर्तों का पालन न करने की दशा में संबंधित फर्म को आगामी तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा।

39. अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी परिस्थिति में उपकिराएदारी पर दिए जाने हेतु प्रतिबंधित होगा। ऐंसा पाए जाने पर फर्म का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निविदा शर्तों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

40. निविदाकार को लॉण्ड्री में धुले हुए वस्त्रों का रजिस्टर में एंट्री कर प्रभारी/नोडल अधिकारी से साप्ताहिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

41. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।

दंड / अनुबंध का निरस्तीकरण–

1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के पास बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2- आर्थिक दंड बार–बार किए जाने के पश्चात् भी कार्य में सुधार नहीं होने पर निविदाकर्ता का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

क्र.	निविदा के साथ अनिवार्यदस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक किया जावे एवं पृष्ठ क्र. दर्शाया जावें /फलैग लगाया जावे		क्रय समिति द्वारा किया जाये।	
		हां/नही		हां/नही	
1.	धरोहर राशि रू. एक लाख ऑनलाईन जमा करने की रसीद की छायाप्रति				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित				
3.	दुकान एंव स्थापना अधिनियम 1958 के तहत जारी फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 (एसेसमेंन्ट ईयर 2021–22 एवं 2022–23) का आयकर रिटर्न जमा करने की सत्यापित छायाप्रति)				
5.	100.00 राशि के नांन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर नोटराईज्ड मूल शपथ पत्र				
6.	पैन कार्ड की छायाप्रति				
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति				
8.	ई.पी.एफ./ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति				
9.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 40.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वर्ष 2021–22)				
10.	शासकीय/अशासकीय/अर्ध–शासकीय/कार्पोरेट चिकित्सालयों में संबंधित कार्य करने का अनुभव एक वर्ष या अधिक (न्यूनतम 500 बिस्तर का)				

नोटः–

1. कृपया निर्धारित क्रम में ही दस्तावेज संलग्न करें। मांगे गए दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक दस्तावेज न लगाए जावें।
2. एक भी दस्तावेज संलग्न न पाए जाने अथवा अधूरे होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर...

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम...

संस्था का नाम एंव पूर्ण पता सील सहित..

(स्पष्ट अक्षरों में)

मोबाईल–

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100.00/-रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प् पर प्रस्तुत करें।

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूं/हैं।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नही किया गया है।
4. मैं/हम किसी भी ऐंसे कॉट्रेक्टर जो कि म.प्र.शासन किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया होए न तो अभिकर्ता हूँ और न ही उसके लिए कार्य करता हूं/करते हैं।
5. मेरे हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नही की गई है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की जाती है तो उसे अमान्य कर दिया जावे।
6. मेरा/हमारा श्यामशाह चिकित्सा महाविदयालय/जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच./सुपरस्पेशिलिटी बलॉक रीवा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नही है।
7. मेरे/हमारे विरूद्ध राज्य/केंद्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
8. मेरे/हमारी संस्था के विरूद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही हैए असत्य पाए जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह का नाम.................................निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के
1...
हस्ताक्षर..
2........................... निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का
नाम..........................

संस्था का नाम एंव पूर्ण पता सील सहित..
(स्पष्ट अक्षरों में)

Sumedha 04/09/2023

चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्व गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी समृति चिकित्सालय एंव एसएसबी ब्लॉक रीवा में पी.पी.पी. मोड पर मैकेनाइज्ड लाण्ड्री संचालन हेतु निविदा

<u>दर–सूची (केवल ऑनलाईन भरी जावे)</u>

क्रं	वस्त्र का नाम	वार्षिक औसत संख्या	दर प्रति नग	जीएसटी	कुल
1.	बेडशीट (चादर)	350000			
2.	चादर ओटी मास्क	100			
3.	ओटी गाउन	62000			
4.	ओटी कैप	100			
5.	टॉवेल	84600			
6.	पर्दा	811			
7.	तकिया कव्हर	1500			
8.	ड्रा शीट	7			
9.	एप्रेन	100			
10.	ओटी शर्ट	100			
11.	ट्राउजर्स	100			
12.	साडी	100			
13.	कंबल लाउण्ड्री	1650			
14.	कंबल ड्रायक्लीनिंग	100			
15.	लैगिंग्स	100			
16.	हैण्ड टॉवेल	100			
17.	कुर्ता	19500			
18.	पायजामा	15500			
19.	टेबल कव्हर	100			
20.	स्पंज	100			

नोटः–

1- GST की दर पृथक से अंकित करें।

2- सरल कमांक 01 से 20 तक में दी गई दरों के कुल योग के औसत दर पर जिसकी दरें न्यूनतम होगी उसी निविदाकार की दरें स्वीकार होगी।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर...

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम...

संस्था का नाम एंव पूर्ण पता सील सहित...

(स्पष्ट अक्षरों में)

मोबाईल–